# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 19/2021
रजिस्ट्रेशन नं. : 2021/27

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय वार्डन हाउस, द्वितीय तल , सर. पी.एम रोड ,फोर्ट मुम्बई– 400001 तथा शाखा कार्यालय 302/5 तृतीय तल, बॉसवाडा टावर, एम.आई रोड, बॉसवाडा, राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री नरेश राठौड पुत्र जुगराज राठौड निवासी मकान नंबर 2–पी–18, पुरानी उदयपुर रोड, एच.बी.कोलोनी, शिव हनुमान मंदिर के पास, बॉसवाडा (राजस्थान) (ऋणी)
2. श्रीमती मंजु राठौड निवासी मकान नंबर 2–पी–18, पुरानी उदयपुर रोड, एच.बी. कोलोनी, शिव हनुमान मंदिर के पास, बॉसवाडा (राजस्थान) (सहऋणी)
3. श्री सैयद मोहम्मद मोबिन निवासी पृथ्वीगंज, सालवाडी, बॉसवाडा (राज.) (जमानती)

## निर्णय

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

दिनांक :– 11.05.2022

दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, प्राधिकृत कार्यालय, मुम्बई, शाखा बॉसवाडा ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 1– श्री नरेश राठौड पुत्र जुगराज राठौड निवासी मकान नंबर 2–पी–18, पुरानी उदयपुर रोड, एच.बी.कोलोनी, शिव हनुमान मंदिर के पास, बॉसवाडा (राजस्थान) (ऋणी) 2– श्रीमती मंजु राठौड निवासी मकान नंबर 2–पी–18, पुरानी उदयपुर रोड, एच.बी.कोलोनी, शिव हनुमान मंदिर के पास, बॉसवाडा (राजस्थान) (सहऋणी) 3– श्री सैयद मोहम्मद मोबिन निवासी पृथ्वीगंज, सालवाडी, बॉसवाडा (राज.) (जमानती) को ऋण करार सं. 00001703 दिनांक 20.09.2017 के द्वारा राशि रुपया 6,75,882 (अक्षरे छः लाख पिचहत्तर हजार आठ सौ बयासी रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व आतिदेय होने पर [illegible] 2019 को अक्रियान्वित आस्ति मे वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते दिनांक [illegible] 02.2019 [illegible] (चार लाख छब्बीस [illegible] चार सौ तरेसठ रुपये मात्र) एवं [illegible] भुगतान हे[illegible] जिम्मेदार है। सिक्योरीटी के रुप में अपनी अचल सम्पति प्रार्थी के पास रहन की जिसका विवरण श्री नरेश राठौड पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 09:58:38 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

...राठौड का आवासिय मकान नम्बर 1–एफ–22, शास्त्री नगर, आरएचबी कॉलोनी, ब्लॉक 1–एफ
...वाडा में स्थित है जिसका क्षैत्रफल 36.60 वर्गमीटर (393.816 वर्गफीट) है, जिसके पूर्व में अन्य हाउसिंग बोर्ड
...कान, पश्चिम में सडक, उत्तर में मकान सं 1–एफ–23, दक्षिण में मकान सं. 1–एफ–21 है, को बतौर प्रतिभूति
...स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात
ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

भारत का राजपत्र क्रमांक 1005 दिनांक 10 नवम्बर 2003 की अधिसूचना के अनुसार प्रार्थी दिवान हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड को केन्द्रीय सरकार, वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 2 की उपधारा(1) के खंड (ड) के उप–खंड (IV) के अन्तर्गत वित्तीय संस्था घोषित की है। प्रार्थी संस्था द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दिनांक 18–02–2019 को ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित लोन एग्रीमेन्ट है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 06.08.2021 को जारी किये गए। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नोटिस दिनांक 23.09.2021 को बाद चस्पा रिर्पोट तहसीलदार बॉसवाडा के साथ प्रस्तुत हुए। सही एवं पूर्ण पते के अभाव में अप्रार्थी सं. 3 का नोटिस अदम तामिल रहा है।

अतः नोटिस बाद चस्पा होकर प्रस्तुत होने एवं अप्रार्थीगण सं 1 व 2 को समुचित अवसर प्रदान करने के बावजुद अनुपस्थित रहे है। अतः अप्रार्थीगण सं 1 व 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी सं. 3 जमानती होकर प्रकरण में औपचारिक पक्षकार है। इनको सुना जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है।

दिनांक 11.05.2022 को प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से [illegible] बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा [illegible] के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 09:58:38 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं वित्तीय संस्था को उक्त सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तिय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बॉसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात दीवान हाउसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय वार्डन हाउस, द्वितीय तल , सर. पी.एम रोड , फोर्ट मुम्बई– 400001 तथा शाखा कार्यालय 302/5 तृतीय तल, बॉसवाडा टावर, एम.आई रोड, बॉसवाडा, राजस्थान को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 09:58:38 IST
Reason: SelfAttested